# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी – श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 82/2014

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 12/08/2014

निर्णय दिनांक : 08/05/2017

1. छोटु
2. प्रभू

पुत्रान दाना, जातियान रैगर, निवासीगण ग्राम मंमाणा तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र भूरा
2. धन्ना पुत्र नाथू
3. रामकरण पुत्र नाथू
4. रामेश्वर पुत्र नाथू
5. किसना पुत्र हनुमान
6. कैलाश पुत्र रामकरण
7. बद्री पुत्र रामकरण
8. माला पुत्र रामेश्वर
9. तेजू पुत्र रामेश्वर
10. बरदीचन्द पुत्र धन्ना
11. नेमीचन्द पुत्र धन्ना

समस्त जाति रैगर, निवासीगण मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

12. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थगरढी
(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री अशोक कुमार दायमा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राजेन्द्र गुर्जर
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 08/05/17

Scanned by CamScanner

# —: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2063—2063 के अनुसार खाता संख्या 234 के आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 0.6300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 716 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.9400 हैक्टेयर व खाता संख्या 144 के आराजी खसरा नम्बर 721 रकबा 1.21 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.21 हैक्टैयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खाता संख्या 234 का प्रार्थी संख्या 2 व खाता संख्या 144 का प्रार्थी संख्या 1 एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 विवादग्रस्त आराजीयात के पडौसी काश्तकार हैं। प्रार्थीगण के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। पडौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीगण की आराजी को लेकर विवाद रखते हैं। आये दिन मेर सींव को लेकर पडौसी खातेदार काश्तकारों से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार साहब, तहसील दूदू के आदेश कमांक/एल.आर./12/290 दिनांक 07/06/2012 एवं आदेश कमांक/एल.आर./12/288 दिनांक 07/06/2012 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 14/06/2012 को विवादित आराजीयात का मौके पर सीमाज्ञान किया गया तथा सीमायें कायम की गयी, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद रखते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20/07/2014 को मुताबिक सीमाज्ञान बाहजोत नही कर अपनी सीमाओं से अधिकर बढकर प्रार्थीगण की सीमाओं में आकर बाहजोत करने का प्रयास करने एवं प्रार्थीगण की आराजी की सींव मेर पर काश्त कर मेर सींव को तोडकर दखल करने की प्रार्थीगण को धमकी देने से प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि ''अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपर्युक्त आराजीयात वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं पर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर पालना करवाई जाने की कृपा करावें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 09/03/2015 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7 10 की ओर से श्री राजेन्द्र गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनाक 08/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट शिविर ''न्याय आपके द्वार'' मुकाम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा में पेश हुई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7, 10 तथा पैरोकार राज की बहस में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7, 10 व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14/06/2012, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2063–2063 खाता संख्या 234, 144 के के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अन्य जो सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी पेश की गयी है, जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार होना साबित होते है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का तहसीलदार दूदू के आदेश क्रमांक/एल.आर./14/288 व एल.आर./14/290 दि0 07.06.2012 के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका हैं, अब प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, चूंकि प्रार्थीगण अपनी आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7 10 की ओर से श्री राजेन्द्र गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया लेकिन न तो उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया तथा न ही कोई आपत्ति पेश की गयी है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 8, 9 न तो स्वंय उपस्थित आये एवं न

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुयी है, इसलिये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही एकतरफा अमल में जाती हैं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 234 के आराजी खसरा नम्बर 119, 716 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9400 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 144 के आराजी खसरा नम्बर 721 रकबा 1.21 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू का सीमाज्ञान सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ..08/05/17 को मजमा ए आम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मंमाणा पर सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

Scanned by CamScanner